केस स्टडी-28/2025

टी.आर.ओ. नागपुर

जारी तिथि : 03.10.2025

SPAD

घटनाक्रम: दिनांक 28.09.2025 को दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल में गाड़ी संख्या 12277 UP (HWH-PURI शताब्दी एक्सप्रेस), लोको संख्या 37066/WAP-7/SRC, सेक्शन: KGP-BHC में कार्य करते समय कर्मीदल ने बहनगा बाज़ार (BNBR) स्टेशन (BNBR) को 17:37 मिनट पर थ्रू पार किया, गेट इनर डिस्टेंट /SORO स्टेशन का डिस्टेंट सिग्नल दो पीला, गेट सिग्नल/ SORO स्टेशन का इनर डिस्टेंट सिग्नल एक पीला (गति 92 Kmph), तथा होम सिग्नल लाल था। गाड़ी होम सिग्नल को 43 Kmph की गति से 17:41 बजे ऑन स्थिति में पार करके लगभग 30 मीटर आगे जाकर रुकी। (कुल कार्य घंटे – लगभग 2.0 घंटे)

संभावित कारण:

- SORO स्टेशन का इनर डिस्टेंट सिग्नल एक पीला देखने के बाद भी लोको पायलट द्वारा समय पर ट्रेन की गति (92 Kmph), कंट्रोल करने में विफल रहना।
- कर्मीदल द्वारा होम सिग्नल के संकेत लाल है, ये देखने में भी विफल रहना और होम सिग्नल के पहले न रोक पाना।
- SORO स्टेशन का इनर डिस्टेंट सिग्नल एक पीला तथा होम सिगनल लाल दिखने पर भी सहायक लोको पायलट द्वारा समय पर RS वाल्व का न खोलना।

उपरोक्त घटना से सबक:

- ✓ लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट कार्य करने से पहले पूर्ण विश्राम (घर और रनिंग रूम) लें।
- ✓ रोड लर्निंग सही तरीके से लें व अपनी लाइन के सिग्नलों के प्रति जागरूक रहे, विशेषकर - नए लगाए सिग्नल एवं RHS/क्रिटिकल सिग्नलों पर।
- ✓ लोको पायलट एक पीला सिग्नल दिखने पर अपनी गाड़ी की गति कम कर लें (40 Kmph मेल/एक्स. एवं 30 Kmph मालगाड़ी)।
- ✓ LP/ALP को हाथों के इशारों से ज़ोर से सिग्नल के संकेतों को पुकारना चाहिए, जैसे हरा संकेत-1 बार, दो पीला-2 बार, एक पीला-3 बार व लाल- बार बार दोहराए।
- ✓ जब भी गाड़ी एक पीला सिग्नल से गुजरे, तो लोको पायलट को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए तथा अगले स्टॉप सिग्नल से पहले अपनी गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए, कभी भी यह मानकर न चलें कि अगला सिग्नल ऑफ ही होगा या हो जाएगा।
- ✓ सिग्नल एक पीला दिखने पर ALP खड़े होकर RS वाल्व पर, लाल सिग्नल पर गाड़ी रुकने तक हाथ रखें व आवश्यकता पड़ने पर समय रहते RS वाल्व खोल दें।
- ✓ गाड़ी संचलन के दौरान अन्य किसी कार्य में व्यस्त न हो एवं पूरा ध्यान सिग्नल संकेत पर रखें।
- ✓ गाड़ी संचालन व कण्ट्रोल करने के दौरान अति आत्मविश्वास ही SPAD का कारण बनता है।

नोट: केस स्टडी केवल कर्मीदल को काउन्सलिंग देने के उद्देश्य से तैयार की गई है, इसे काउन्सलिंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए मान्य नहीं होगा।

सभी मुख्य लोको निरीक्षक/मुख्य लोको नियंत्रक उपरोक्त निर्देशों को सभी लोको रनिंग कर्मचारियों को अवगत कराएं एवं कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

(गौरव कु. श्रीवास्तव)
वरि.मं.वि.इंजि.(परि.),नागपुर